न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण अपील (रसद)संख्या 210/13 **वर्ष 2013**

जीसीएमएस संख्या 2013/00002

बउनवानीः—सीताराम गुप्ता पुत्र श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता जाति महाजन निवासी श्यारौली, एफ.पी.एस, डीलर 1/4 भाग ग्राम पंचयत श्यारौली तह0वजीरपुर सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

(अपील विरूद्व आदेश उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.06.2013 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान फूड ग्रेन एवं असेसियल आर्टीकल रेगूलेसन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1976)

उपस्थितः—श्री विनोद कुमार अग्रवाल — वकील अपीलान्ट

श्री धर्मचन्द अग्रवाल (प्रवर्तन अधिकारी) — पैरोकार रसद

—:निर्णय :— दिनांकः— 18.08.2021

प्रस्तुत अपील अपीलान्ट द्वारा उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 13.06.2013 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है, जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा मे दर्ज रजिस्टर की गयी। तत्पश्चात रेस्पो. की तलवी जरिये नोटिस किये जाने के साथ ही अदालत मातहत को मूल अभिलेख भिजवाने हेतु लिखा गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त आदेश की मूल पत्रावली गुम हो जाने के कारण मूल अभिलेख प्राप्त नही किया जा सका। मूल अभिलेख गुम होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 1.3.2020 को थाना गंगापुर सिटी में दर्ज करवायी जा चुकी है। वकील अपीलान्ट के निवेदन पर बहस वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद सुनी गयी ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य होने के कारण खारिज फरमाया जावें। क्योकि निर्णय देने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन नही किया जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत श्यारौली 1/4 भाग का राशन डीलर है एवं नियमानुसार समस्त राशन सामग्री का वितरण राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार वितरण करता आ रहा है तथा किसी भी उपभोक्ता द्वारा राशन सामग्री वितरण को लेकर कोई शिकायत नही की गयी है ओर ना ही अपीलान्ट द्वारा अनुज्ञा पत्र की शर्तो का उल्लघंन किया है किन्तु निराधार एवं झूंठी शिकायतो के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने पूर्व अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का भी समुचित अवसर नही दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा माह नवम्बर व दिसम्बर,2012 के बी.पी.एल. स्टेट बी.पी.एल 10.25 व 5.25 कुल 15.50 क्विंटल गेंहूॅ के कूपनो का ब्यौरा प्रस्तुत नही करने का आरोप लगाया है जो गलत है क्योकि अपीलान्ट द्वारा उक्त माह का ब्यौरा माह दिसम्बर,2012 की रिटर्न में प्रस्तुत किया है तथा बी.पी.एल व स्टेट बी.पी.एल. कूपनो का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया है तथा वितरण के बाद जो स्टॉक श[illegible]ह अपीलान्ट ने नियमानुसार नये डीलर महेन्द्र सोंलकी को दिनांक 24.2.201[illegible] की गयी राशन सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर रखा था। जब [illegible] शिकायत हुई थी तब अपीलान्ट अवकाश पर था। यह तर्क भी दिया कि ओदश जैर अपील की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक [illegible]13 को हुई थी तथा दिनांक 12.7.2013 को नकल प्राप्त होने पर जानक[illegible] से अन्दर मयाद मय [illegible] के प्रार्थना पत्र के अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील मयाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:47 IST
Reason: SelfAttested

64

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(अपील रसद संख्या 210/2013 सीताराम बनाम उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी)

पैरोकार रसद द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि प्रवर्तन अधिकारी गंगापुर सिटी की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात के अनुसार उचित मूल्य दुकानदार श्री सीताराम गुप्ता द्वारा माह नवम्बर व दिसम्बर,20212 के बी.पी.एल, स्टेट बी.पी.एल के क्रमश 10.25 व 5.25 कुल 15.50 क्विंटल गेंहूँ के कूपनो का ब्यौरा प्रस्तुत नही है एवं माह नवम्बर व दिसम्बर 2012 के योजनानुसार राशन टिकिट जमा विवरण पत्र सही प्रस्तुत नही कर वितरण रिपोर्ट सही संघारित नही करने के कारण उक्त गेंहूँ की कालाबाजारी किये जाने पर उचित मूल्य दुकानदार श्री सीताराम गुप्ता को नोटिस दिया गया जिसका डीलर द्वारा संतोषजनक जवाब नही दिया एंवं प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट में अंकित आरोप के आधार पर राशन सामग्री वितरण में गम्भीर अनियमितता हुई है जो कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 एवं जारी प्राधिकारी पत्र की शर्त संख्या 2,5,6,7,11 एवं 17 का स्पष्ट उल्लघंन पाये जाने पर समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार कर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 94/1984 निरस्त किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उचित मूल्य दुकानदार श्री सीताराम गुप्ता की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त उचित मूल्य दुकानदार की जॉच प्रवर्तन अधिकारी से करवायी गयी। दौराने जॉच डीलर द्वारा माह नवम्बर व दिसम्बर,20212 के बी.पी.एल, स्टेट बी.पी.एल के क्रमश 10.25 व 5.25 कुल 15.50 क्विंटल गेंहूँ के कूपनो का ब्यौरा प्रस्तुत नही करने एवं माह नवम्बर व दिसम्बर 2012 के योजनानुसार राशन टिकिट जमा विवरण पत्र सही प्रस्तुत नही करने व वितरण रिपोर्ट गलत संघारित करने की अनियमितता पायी जाने की रिपोर्ट प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट डीलर को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब डीलर द्वारा दिनांक 30.5.2013 को प्रस्तुत किया गया किन्तु प्रस्तुत जवाब के समर्थन मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही करने के कारण उक्त डीलर पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद साबित नही हुऐ। यह भी उल्लेखनीय है कि आदेश जैर अपील की मूल पत्रावली गुम हो जाने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा अवलोकन नही किया जा सका किन्तु अपीलान्ट द्वारा भी न्यायालय मे दौराने सुनवायी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर उसपर लगाये गये आरोप बेबुनियाद साबित हो सके। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट डीलर पर माह नवम्बर व दिसम्बर,20212 के बी.पी.एल, स्टेट बी.पी.एल के 15.50 क्विंटल गेंहूँ के गबन की पुष्टि बखुबी हो जाने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 एवं जारी प्राधिकारी पत्र की शर्त संख्या 2,5,6,7,11 एवं 17 का स्पष्ट उल्लघंन पाये जाने पर ही आदेश जैर अपील से प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमे किसी प्रकार विधिक त्रुटि प्रतीत नही होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.8.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:47 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर